

एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना

उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य विभिन्न लीन तकनीकों के अनुप्रयोग के माध्यम से एमएसएमई की घरेलू और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

में कमी:

- अस्वीकृति दर
- उत्पाद और कच्चे माल की आवाजाही
- उत्पाद लागत

अनुकूलन:

- स्थान उपयोग
- जल, ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन आदि जैसे संसाधन।

का संवर्धन:

- उत्पादों और प्रक्रिया की गुणवत्ता
- उत्पादन और निर्यात क्षमताएं
- कार्यस्थल सुरक्षा
- ज्ञान और कौशल सेट
- नवोन्मेषी कार्य संस्कृति
- सामाजिक एवं पर्यावरणीय जवाबदेही
- लाभप्रदता
- उद्योग 4.0 का परिचय और जागरूकता

मुख्य लाभ

कार्यान्वयन लागत (अधिकतम प्रति इकाई)

- बुनियादी स्तर: निःशुल्क
- इंटरमीडिएट स्तर: ₹ 1,20,000 + कर
- उन्नत स्तर: ₹ 2,40,000 + कर

लाभार्थी अंशदान:

- बेसिक - एनए
- मध्यवर्ती स्तर: कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात, रु. 12,000/- तक + प्रति इकाई कर (अधिकतम)
- उन्नत स्तर: कार्यान्वयन की कुल लागत का 10% अर्थात, 24,000/- रुपये तक + प्रति इकाई कर (अधिकतम)

भारत सरकार का योगदान:

- बेसिक - एनए
- मध्यवर्ती स्तर: एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत के लिए 1,08,000/- रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी (कर अतिरिक्त)
- उन्नत स्तर: एमएसएमई इकाई कार्यान्वयन लागत के लिए 2,16,000/- रुपये (अधिकतम) तक की हकदार होगी (कर अतिरिक्त)

अतिरिक्त लाभ:

- (क) स्फूर्ति क्लस्टर, महिला/एससी/एसटी स्वामित्व वाले, एनईआर स्थित एमएसएमई के भाग के रूप में एमएसएमई के लिए भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान।
- ख) ओईएम/ उद्योग संघ मार्ग
 - उद्योग के माध्यम से पंजीकरण कराने वाले एमएसएमई को भारत सरकार का अतिरिक्त 5% अंशदान दिया जाएगा।
- सभी स्तरों के पूरा होने के बाद एसोसिएशन/ओईएम।
 - लीन डेवलपमेंट के सभी चरणों को पूरा करने के बाद ओईएम/एसोसिएशन को प्रति एमएसएमई 5000 रुपये दिए जाएंगे।
- हस्तक्षेप।
 - इस लाभ का लाभ उठाने के लिए एमएसएमई इकाई को आवेदन करते समय इसका उल्लेख करना होगा - के तहत आवेदन करना

- मूल उपकरण निर्माता (OEM) या उद्योग संघ (IA) के तहत आवेदन करना

योजना निम्नलिखित के लिए लागू है:

- उद्यम पंजीकरण पोर्टल (एमएसएमई मंत्रालय के) के साथ पंजीकृत सभी एमएसएमई प्रतिस्पर्धी (लीन) योजना में भाग लेने और संबंधित लाभ/प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- यह योजना स्फूर्ति (पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के लिए भी खुली है।

विस्तार में जानकारी:

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का लक्ष्य एमएसएमई के लिए एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक (लीन) योजना को लागू करना है, जिसका उद्देश्य प्रक्रियाओं, इन्वेंट्री प्रबंधन, स्थान प्रबंधन, ऊर्जा खपत आदि में अपव्यय को कम करके उनकी उत्पादकता, दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

आवेदन कैसे करें:

पात्र एमएसएमई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे

<https://lean.msme.gov.in/>